अध्याय-III : भूमि उपयोग

3.1 डीजीडीई द्वारा भूमि लेखापरीक्षा का स्थगन

दिसम्बर 1992 में रक्षा मंत्रालय ने महानिदेशक रक्षा सम्पदा को वर्तमान भूमि प्रयोग के साथ-साथ भूमि धारण एवं विशेष आवश्यकताओं पर प्रमुख ध्यान केन्द्रीकरण के साथ भूमि लेखापरीक्षा आयोजन का अनुदेश दिया । ऐसी लेखापरीक्षा मुख्यतः आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रकृति की, रक्षा उद्देश्यों हेतु वर्तमान भूमि धारण के युक्तिमूलक एवं अधिकतम उपयोग के लिए भूमि प्रबन्धन की कुशल प्रणाली अर्जित करने में प्रयोक्ता संगठनो की सहायता हेतु रूपांकित की गई थी । इन प्रमुख मापदण्डों में निम्नलिखित दृष्टिकोण भी लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने थेः

क तीन वर्षो के दौरान चयनित स्थलों पर कैन्टोनमैंट से बाहर की रक्षा भूमि का वास्तविक प्रयोग, अधिग्रहित भूमि का प्रयोग तथा पुनर्ग्रहीत स्थलों का वास्तविक प्रयोग;

ख प्रशिक्षण उददेश्यों हेतु चिन्हित भूमि का वास्तविक प्रयोग;

ग रक्षा सम्पदा अधिकारियों द्वारा रखे गए दस्तावेजों की स्थिति;

घ विभिन्न संस्थानों को लीज पर दी गई रक्षा भूमि की वर्तमान स्थिति एवं क्या ऐसे संस्थान ऐसी भूमि का वास्तविक उपयोग उसी उददेश्य हेतु कर रहे हैं जिसके लिए भूमि लीज पर दी गई थी, तथा; तथा

ड़ रक्षा भूमि पर अतिक्रमण की मात्रा ।

डीजीडीई कार्यालय के भूमि लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ ने अपना पहला प्रतिवेदन चयनित स्थलों के संबंध में सितम्बर 1995 में प्रस्तुत किया जिसमें कई अनियमितताओं का पता चला । इनमें रक्षा भूमि एवं भवनों का दुरूपयोग एवं अनुपयोग तथा महत्वपूर्ण स्थानों जैसे जयपुर, पुणे, किरकी, बैंगलोर इत्यादि पर भूमि आधिक्य शामिल थे । पुनःअधिप्राप्त बंगलों का प्रयोग सैनिक स्कूलों, शापिगं कॉम्पलैक्सों आदि के रूप में भी ऐसी लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया था। लेखापरीक्षा जाँच परिणामों ने वास्तव में इस बात की पुष्टि की कि भूमियों का निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु प्रयोग नहीं हो रहा था ।

हालांकि सेना मुख्यालय वर्तमान भूमि लेखापरीक्षा के जारी रहने पर सहमत नहीं थे। क्वार्टर मास्टर जनरल की ब्रांच ने मंत्रालय को सूचित किया कि आगे और लेखापरीक्षा आयोजित नहीं होगी । क्वार्टर मास्टर जनरल ने सुझाव दिया कि पहले भूमि कानून में संशोधन किया जाए तथा लेखापरीक्षा करने के लिए एक सेना अधिकारी की अध्यक्षता में भूमि लेखापरीक्षा अधिकरण का गठन किया जाना चाहिए ।

जबकि मंत्रालय ने भूमि लेखापरीक्षा को औपचारिक रूप से स्थगित नहीं किया और जनवरी 2002 में वास्तव में डीजीडीई को रक्षा भूमि धारण पर प्रारम्भिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। डीजीडीई ने भूमि लेखापरीक्षा प्रणाली को समाप्त होने दिया । इस प्रकार रक्षा भूमि कुप्रबन्धन की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण प्रणाली को कार्य नहीं करने दिया गया ।

3.2 अधिग्रहित भूमि का उपयोग न होना/अल्प उपयोग

रक्षा पर संसदीय स्थाई समिति (14वीं लोक सभा) ने "विस्थापित लोगों के पुनःस्थापना की महत्त्वपूर्ण पुनरीक्षाऊ के अपने 13वें प्रतिवेदन में पाया कि "समिति को दिए गए प्रमाण से ज्ञात हुआ कि रक्षा मंत्रालय ने अपनी परियोजना हेतु वास्तविक आवश्यकता से अधिक भूमि अधिग्रहित की है तथा किसानों को उनके उपयोग हेतु अप्रयुक्त/अधिक भूमि को लौटाने के बारे कोई निर्णय नहीं लिया है।ऊ इसने सरकार से अधिग्रहित भूमि की पुनरीक्षा इसके उपयोग, वास्तविक आवश्यकता तथा किसानों/स्थानीय लोगों द्वारा अनप्रयुक्त भूमि के वैकल्पिक उपयोग की संभावना हेतु समिति बनाने की संस्तुति की । तदनुरूप दिसम्बर 2006 में छः माह की अवधि में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश सहित कमान स्तर पर समितियाँ गठित की गईं ।

इन समितियों के प्रतिवेदनों के अनुसार जैसा कि डीजीडीई ने संकलित किया, 58529 एकड़ अधिग्रहित भूमि खाली पड़ी थी । इसमें से 49831 एकड भूमि 1905 तथा 1990 के दौरान अधिग्रहित भूमि इसके अधिग्रहण से ही खाली पड़ी थी । इसके अतिरिक्त 5107 एकड भूमि स्थाई रूप से फालतू पाई गई तथा 1661 एकड भूमि मध्य व दक्षिणी-पश्चिमी कमानों में अस्थाई रूप से आवश्यकता से अधिक थी । सेना प्राधिकारियों द्वारा भूमि के अनुपयोग/अतिरिक्त भूमि के अ-निस्तारण हेतु प्रदत्त कारण थेः

- राइफल रेंजेज के आसपास असैनिक निवासों का फैलाव;
- कुछ स्टेशनों पर सैन्य दलों के लगाने/हटाने की अनिश्चित अवस्था के कारण की लोकेशन प्लान (केएलपी),को अन्तिम रूप न दिया जाना;
- प्रशिक्षण प्रयोजन हेतु खाली भूमि का प्रयोग; तथा
- भविष्य में अतिरिक्त सैन्य दलों को लगाने हेतु योजनाओं के अंग के रूप में भूमि का तदनुरूप उपयोग।

इस तथ्य से इतर कि ऐसी अधिग्रहित लेकिन अप्रयुक्त छोड़ी गई भूमि से इनके मालिको को व इनके लाभकारी प्रयोग से वंचित किया गया, सेना अधिकारियों की मान्यताएं एक महत्त्वपूर्ण तथ्य की अवहेलना करती है कि अधिकतर मामलों में सेना के पास पहले से ही भूमि थी जो 1991 के मानको के दृष्टिगत आवश्यकता से अधिक थी तथा जो अप्रयुक्त पड़ी थी ।

समिति द्वारा उपरोक्त अवलोकन के बावजूद, जुलाई 2009 में सेना पर संसदीय स्थाई समिति को दिए अपने एक्शन टेकन नोट में मंत्रालय ने कहा कि सेना की भविष्य में वैवाहिक आवासीय, आवासीय व प्रशिक्षण योजनाओं के दृष्टिगत कोई भूमि अतिरिक्त नहीं है। हालांकि मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दुर्लभ स्त्रोत अधिक समय तक अप्रयुक्त बंधक न रहे,नियमित अन्तराल पर भूमि लेखापरीक्षा रूपात्मकता विकसित किए जाने हेतु सहमत हुआ । दोनो ही स्तर पर मंत्रालय के उत्तर भ्रामक थें ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया किः

- **मंत्रालय द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन आधार की विस्तृत चर्चा नहीं करता जिस पर यह जोर दिया गया कि कोई भूमि अतिरिक्त नहीं थी । भूमि मानको के अनुरूप भूमि की आवश्यकताएं स्टेशन से स्टेशन आधार पर आँकलित की जानी थी । एल एम ऐज द्वारा निर्धारित भूमि आवश्यकताओं में इस प्रतिवेदन के अध्याय-ख्ख् में दर्शाई गई विसंगतियाँ थीं ।**

- **रक्षा सम्पदा संगठन 1991 के मानकों के आधार पर वास्तविक आवश्यकताओं को स्वतन्त्र रूप सें आकलन किए बिना एल एम ऐज द्वारा प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण कर रहा था ।**
- **भविष्य में विस्तार योजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव आरम्भ के थें । हालांकि योजना के अनुसार ये विस्तार नहीं हुए, दशकों तक अधिग्रहित भूमि अप्रयुक्त पडी रही जिससे अतिक्रमण की आशंका बनी रही तथा**
- **मंत्रालय के पास सेनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि की स्थिति की आवधिक पुनःरीक्षा के लिए कोई संस्थागत प्रावधान नहीं था जिससे भूमि के वैकल्पिक उपयोग जैसे कि कृषि हेतु लीज पर देना तथा अन्य उद्देश्यों में इसके सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।**

मंत्रालय ने अगस्त 2010 में लेखापरीक्षा को बताया कि आयोजित भूमि लेखापरीक्षा के विवरण, उनकी संस्तुतियां तथा एल एम ए द्वारा उनका अनुपालन डीजीडीई/ सेना मुख्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। डीजीडीई हालांकि अक्तूबर 2009 में पहले ही सूचित कर चुका था कि अधिग्रहित भूमि उन प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयोग की जानी थी जिनके लिए ये अधिग्रहित की गईं थी । अतः डीजीडीई भूमि के अनुपयोग के कारणों को व्यक्त करने में सक्षम नहीं था । सेना मुख्यालय ने अगस्त 2010 में बताया कि जुलाई 1986 में रक्षा राज्य मंत्री के निर्देशानुसार कोई भी भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं की जानी थी । इसने आगे कहा कि रक्षा भूमि की आवश्यकता भविष्य में प्रयोग हेतु एक गत्यात्मक प्रक्रिया है ।

उपरोक्त उत्तरों से रक्षा भूमि प्रबन्धन में किसी भी केन्द्रीय बिन्दु का अभाव इंगित होता है । अगस्त 2010 में सेना मुख्यालय ने बताया कि खाली भूमि के उपयोग के विवरण उपलब्ध नहीं थे । दूसरी ओर मंत्रालय ने अगस्त 2010 में लेखापरीक्षा को सूचनाएं सेना मुख्यालयों से प्राप्त करने के लिए कहा । इन उत्तरों से मुख्यतः प्रकट हुआ कि भूमि अधिग्रहण के निर्णय हेतु उत्तरदायी प्राधिकारी इसके वास्तविक उपयोग पर दृष्टि नहीं रख रहे थे, इस प्रकार व्यर्थ अधिग्रहण परिणित हुआ ।

लेखापरीक्षा ने व्यर्थ अधिग्रहण के कुछ विशेष मामले भी देखे जो अधोलिखित हैः

- तीन कमानों[6] में 17 स्टेशनो पर के एल पी इकाईयों की वृद्धि के लिए अधिग्रहित 3547.14 एकड भूमि निहित उददेश्य हेतु उपयोग नहीं हुई एवं खाली पडी थीं । इसमें से 3043.90 एकड़ भूमि इसके अधिग्रहण से ही अप्रयुक्त/खाली पड़ी थी ।
- मध्य कमान के ग्वालियर जिले की 1463.13 एकड भूमि 1994 में इसके अधिग्रहण से ही खाली/अप्रयुक्त पडी थी तथा स्थानीय लोगों द्वारा भूमि पर अतिक्रमण किया गया । जुलाई 2007 में मध्य प्रदेश सरकार ने इस भूमि को अन-अधिसूचित (डीनोटीफाइड) किया तथा समस्त भूमि को विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने हेतु अपने अधिकार में ले लिया । सितम्बर 2009 तक भूमि राज्य सरकार के अधिकार में थी । सेना मुख्यालय ने उत्तर(अगस्त 2010) दिया कि उनके पास इसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं था।
- एल एम एज को पश्चिमी क्षेत्र में पांच स्टेशनो (चन्डीगढ, बरनाला, रोपड, गुडगांव तथा शिमला) में 992.39 एकड भूमि की वास्तविक जगह की जानकारी नहीं थी । मुख्यालय पश्चिमी कमान ने दस्तावेजी प्रमाण दिए बिना लेखापरीक्षा को उत्तर दिया कि यह रक्षा मंत्रालय के प्रबन्धन में था ।

[6] पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी

3.3 भूमि अधिग्रहण में दीर्घ विलम्ब

दीर्घावधि आधार पर आवश्यक भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण कानून (एल ए एक्ट)1894 के आधीन सीधे अधिग्रहित होनी चाहिए तथा अल्पावधि आधार पर वांछित भूमि प्रथमतः लिखित रूप से मांगी तथा बाद में अधिग्रहित की जानी चाहिए यदि स्थाई सम्पत्ति की माँग एंव अधिग्रहण कानून (आर ए आई पी) के आधीन आवश्यक हो। डीजीडीई दस्तावेजों के आधार पर किराये पर और मांगी गई भूमि सितम्बर 2010 तक क्रमशः 72386.72 एकड़ और 22516.01 एकड़ थी । किराये पर और माँगी गई भूमि पर केवल वर्ष 2009-10 का वार्षिक परिव्यय 94 करोड रूपये था । किराये के भवनों की संख्या 3232 थीं तथा 2009-10 के दौरान किराये के भवनों पर किया गया व्यय 16.88 करोड़ रूपये था ।

फरवरी 1992 में मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण मामलों की प्रक्रिया तथा संगठनों जैसे कि सेवा मुख्यालय/डीजीडीई/वित्त विभाग सहित मंत्रालय द्वारा प्रक्रिया की प्रत्येक महत्त्वपूर्ण अवस्था पर अपनाने वाले मानकों का निर्धारण करने जैसे सुधार किए । मंत्रालय के अनुदेशो के अनुसार मंडल कार्यवाही के अन्तिम रूप देने के उपरान्त भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव यथासंभव शीध्रातिशीध्र, सेवा मुख्यालय तथा डीजीडीई की टिप्पणियों/संस्तुतियों सहित मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

लेखापरीक्षा द्वारा भूमि अधिग्रहण मामलों की पुनरीक्षा से प्रकट हुआ कि

सर्वांगपूर्ण मामले

तीन कमानो में डीईओज/एडीईओज द्वारा भूमि अधिग्रहण एक वर्ष से 8 वर्ष तक विलम्ब से सम्पन्न हुआ।

प्रगतिशील मामले

चार थल सेना कमानों, प्रत्येक वायुसेना कमानों तथा नौसेना कमानों में से प्रत्येक में दो-दो कमानों में 49 प्रगतिशील मामलों की पुनरीक्षा में पाया गया कि 15 मामले 1-5 वर्ष पुराने, 12 मामले 6-10 वर्ष पुराने 15 मामले 11-20 वर्ष पुराने तथा 6 मामले 20 वर्ष से अधिक पुराने थे । एक मामले की अवस्था की जानकारी नहीं करवाया गया । भूमि अधिग्रहण में विलम्ब मुख्यतः हर्जाना प्रकाशन में विलम्ब के कारण तथा भूमि के स्वामित्व के प्राप्त करने/देने में विलम्ब के कारण था । नवम्बर 1979 से जून 2003 की अवधि से संबंधित 21 मामलों में हर्जाने की अन्तिम उदधोषणाएँ सरकारी संस्वीकृति जारी किए जाने के उपरान्त भी अपेक्षित थीं । दिसम्बर 1986 से मार्च 2009 के दौरान 18 मामलों के सम्बंध में 56.24 करोड रूपये भूमि का लागत जमा करने के बावजूद भूमि अधिग्रहण कार्रवाई अभी भी अपूर्ण थीं।

अतिमहत्वपूर्ण उपबन्ध के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण में असामान्य विलम्ब

अधोलिखित अतिमहत्वपूर्ण उपबन्ध के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिग्रहण की प्रक्रिया 9 से 20 वर्षो की अवधि के उपरान्त भी अपूर्ण थी जिससे संबंधित परियोजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा जैसाकि नीचे विवेचना की गई हैः-

मामला 1 : आर सी आई हैदराबाद

मंत्रालय ने जनवरी 1991 में आर सी आई हैदराबाद की एक परियोजना हेतु सिकन्दराबाद में 15.49 लाख रूपये लागत पर तत्काल उपबन्धाधीन 130 एकड़ भूमि का अधिग्रहण जिसमें 53 एकड 14 गुंठा निजी भूमि तथा 76 एकड 26 गुंठा राज्य सरकार की भूमि के हस्तांतरण की संस्वीकृति प्रदान की । चूँकि भूमि का अधिग्रहण सम्पन्न नहीं हो सका, अप्रेल 2003 में सरकार ने 86.69 लाख रूपये के लिए

संस्वीकृति को संशोधित किया । अगस्त 2005 में निजी भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया । हालांकि राज्य सरकार की 33 एकड भूमि का हस्तांतरण अक्तूबर 2009 तक नहीं हो पाया । इस प्रकार भूमि जिसका अधिग्रहण अत्यावश्यक उपबन्धाधीन करना 1989 में प्रस्तावित था, 20 वर्षो के उपरान्त भी नहीं किया जा सका । डीईओ सिकन्दराबाद इस संबंध में उत्तर नहीं दे पाया (नवम्बर 2009) ।

मामला 2 आर सी आई - डीआरडीएल लिंक रोड

मंत्रालय ने दिसम्बर 1993 में अत्यावश्यक उपबन्धाधीन आर सी आई - डीआरडीएल लिंक रोड को चौड़ा करने के लिए 85.75 लाख रूपये में हैदराबाद में 105 एकड 20 गुंठा भूमि के अधिग्रहण हेतु संस्वीकृति प्रदान की । दो विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा दीवानी न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवाये जाने के कारण दो पाकेट भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका तथा इसके अतिरिक्त अनुमानतः लगभग 17 एकड राज्य सरकार की भूमि का हस्तांतरण दिसम्बर 2009 तक होना बाकी था ।

मामला 3 वायुसेना स्टेशन, पूना

जुलाई 2000 में अत्यावश्यक उपबन्धाधीन लोहगांव में वायुसेना स्टेशन, पूना के रनवे के विस्तार हेतु 20 एकड निजी भूमि के आधिग्रहण की प्रारम्भ की गई प्रक्रिया अक्तूबर 2009 तक अपूर्ण थी चूँकि मामला न्यायालय के अधीन था।

अगस्त 2010 में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को भूमि अधिग्रहण से संबधित सूचना सेना मुख्यालय से प्राप्त करने को कहा । वायु सेना स्टेशन ने सितम्बर 2009 में बताया कि इस मामले को डी जी डी ई के द्वारा देखा जा रहा था एंव कोई भी स्पष्टीकरण उनसे ही लिया जाए ।

3.4 रक्षा भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

रक्षा भूमि का वाणिज्यिक दोहण के उदाहरण तथा ऐसी भूमि पर शोपिंग कम्प्लेक्स आदि को चलने देने की बातें सी.ए.जी. के पिछले प्रतिवेदनों में की जा चुकी हैं। रक्षा भूमि का व्यवसायिक दोहन सामान्यतः बहुत अपारदर्शी हो जाते हैं क्योंकि ऐसी क्रियाओं से उत्पन्न राजस्व गैर लोक निधि (रेजिमेंटल फंड) में जमा किए जाते हैं जो संसदीय अवलोकन से बाहर हैं। सन्तुष्टि शॉपिंग काम्पलेक्स जैसे मामले जिसमें सरकारी भूमि को दिल्ली के कई महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध व्यक्तित्वों को दुकाने चलाने की आज्ञा दी गई है, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है।

यद्यपि इस तथ्य को जानते हुए भी कि गैर-लोक निधि से रक्षा भूमि पर शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण वर्जित था और सेवाओं ने अपने हितकारी संगठनों के माध्यम से ऐसे काम्पलेक्स या तो गैर-लोक निधियों अथवा सरकारी भवनों के पुनर्विनियोजन अथवा दोनो ही माध्यमों से स्थापित किए थे तथा इनमें से कुछ कॉम्पलेक्सों से उत्पन्न भारी राजस्व सेवाओं के हितकारी उद्देश्यों पर उपयोग किए जाते बताए गए, मंत्रालय ने जनवरी 2001 में अपने आदेश में इन कॉम्पलेक्सों की निरन्तरता बनाए रखने की अनुमति दी। केवल यह शर्त लगाई गई कि मंत्रालय की अनुमति के बिना कोई नया कॉम्पलेक्स भविष्य में नहीं बनाया जाएगा। इसने आगे आदेश दिया कि गैर-लोकनिधि से निर्मित सम्पत्तियों से अर्जित शुद्ध राजस्व का 50 प्रतिशत तथा जहां कम्पलेक्स भवनों के पुनर्विनियोजन या पुनर्विनियोजन के साथ गैर-लोक निधि से निर्मित हो दोनों मामलों में से अर्जित शुद्ध राजस्व का 100 प्रतिशत सरकारी खजाने में जमा करवाया जाएगा।

जून 2006 में, मंत्रालय ने गैर-लोकनिधि से ए-1 अथवा इसके सदृश रक्षा भूमि पर निर्मित शॉपिंग कॉम्पलेक्सों का प्रबन्धन डीजीडीओ/डीईओ से एक समिति जिसमे स्टेशन के मिलिटरी आफिसर

कमांडिग के अध्यक्ष के रूप मे तथा एक-एक सदस्य कमान मुख्यालय, सम्बन्धित रक्षा सम्पदा अधिकारी तथा एम ई एस के होंगे, को हस्तांतरित कर दिया । इन कॉम्पलेक्सों को चलाने के लिए अध्यक्ष एक मात्र उत्तरदायी और जवाबदेह अधिकारी थे ।

लेखापरीक्षा द्वारा अनुगामी कार्रवाई ने ऐसे शॉपिंग काम्पलेक्सों के संबंध में नगण्य परिवर्तन इन्गित किए

लेखा परीक्षा द्वारा पहले की विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो में प्रतिवेदित मामलों की अनुगामी कार्रवाई ने इंगित किया कि वास्तविक स्थिति में नगण्य परिवर्तन हुए थे । उदाहरणतः शॉपिग काम्पलेक्सों हेतु रक्षा भूमियों का दोहन तथा लोक निधि से राजस्व को अपसारित करने पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की 2003 की प्रतिवेदन संख्या 6 के पैरा 2 में कई मामले प्रतिवेदित हुए। उपचारात्मक कार्रवाई के परिवर्तित नोट जनवरी 2011 तक प्रतीक्षित थे । इन मामलों की वर्तमान स्थिति निम्नवत् थी:-

- लोक निधि में पूर्वी कमान के तीन डीईओज (सिलिगुडि,गुवाहाटी एंव तेजपुर)के आधीन शॉपिंग काम्पलेक्सों से प्राप्त किराये की अवस्था का नवम्बर 2009 में डीईओज से सुनिश्चितिकरण किया गया । इन डीईओज द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (दिसम्बर 2009) ।

- दक्षिणी कमान में, वर्ष 2006-07 में संग्रहित 1.59 करोड़ रूपये की सम्पूर्ण राजस्व राशि रेजिमेंटल फण्ड में जमा की गई थी । शेष अवधि की सूचना लेखापरीक्षा को सूचित नहीं की गई ।

- जालंधर कैण्ट में 1996-97 से 2000-01 की अवधि के लिए 1343.96 वर्ग मीटर भूमि के संबंध में व्यवसायिक दरों पर किराये के वसूल न होने से 14.13 लाख रूपये की हानि के मामले के संबंध में डीईओ जालन्धर ने जुलाई 2009 में सूचित किया कि स्थानीय सेना अधिकारियों ने कोई किराया नहीं चुकाया । डीईओ लोक निधि में राजस्व जमा करने तथा कमान निदेशालय के माध्यम से उच्च अधिकारियों को भूमि के पुनःवर्गीकरण् के मामले प्रतिवेदित करने के अपने कर्तव्य पालन में विफल रहा । कमान मुख्यालय का उत्तर अगस्त 2010 तक प्रतीक्षित था।

- चण्डीमन्दिर में भवन संख्या पी-16 में 1996-97 से 2000-01 की अवधि के लिए व्यवसायिक गतिविधियों के संबंध में, मंत्रालय ने नवम्बर 2004 में बताया कि 23.92 लाख रूपये की राशी अप्रेल 1996 से अगस्त 2003 की अवधि हेतु स्टेशन कमान्डर ने किराये का भुगतान सरकारी खजाने में कर दिया था । हालांकि स्टेशन मुख्यालय और दुर्ग अभियंता चण्डीमन्दिर लेखापरीक्षा को वसूली के दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करने में विफल रहे । और भी, भवन पी-16 के दो तल थे । धरातल आवा (ए डब्ल्यू डब्ल्यू ए) दुकानो हेतु तथा प्रथम तल नवम्बर 2004 से 10 वर्षो के लिए अधिकारियों, जे सी ओज तथा औ आरस को प्रशिक्षण संस्थान के रूप में पुनःर्विनियोजित करके प्रयोग किये जा रहे थे । इस प्रकार भवन अभी भी अनाधिकृत उददेश्य हेतु प्रयोग किया जा रहा था ।

- 1954 से जून 2002 की अवधि के लिए कोलकाता शहर में पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार के कब्जे में 1.27 एकड रक्षा-भूमि के 35.00 लाख रूपये के किराये की गैर-वसूली का जहां तक संबंध है, मंत्रालय ने नवम्बर 2004 में बताया कि 1952-53 में 0.73 लाख रूपये वार्षिक भुगतान पर यह भूमि शरणार्थियों के पुनःस्थापन हेतु राज्य सरकार को अनुमति की गई थी । हालांकि राज्य सरकार ने न तो कोई लिखित समझौता किया और न ही 1954 से कोई किराया चुकाया । राज्य सरकार को कहा गया कि वह 1.27 एकड भूमि के बदले में सममुल्यक भूमि प्रदान करे । इसके आगे की प्रगति सूचित नहीं की गई ।

- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2007 की संख्या 5 (वायुसेना एंव नौसेना) के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 3.5 में किराये की गैर-वसूली के कारण 8.02 करोड रूपये के राजस्व की हानि तथा वायुसेना स्टेशन सुब्रोतो पार्क नई दिल्ली में सभाभवन के लिए अधिसंख्य स्थापना निर्माण हेतु 1.37 करोड रूपये के अनाधिकृत व्यय का वर्णन किया गया था । अपनी उपचारात्मक कार्रवाई नोट में मंत्रालय ने मई 2009 में बताया कि भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के स्वर्ण दिवस का स्मारणोतस्व मनाने हेतु पूर्व रक्षा मंत्री द्वारा अभिव्यक्त इच्छा के अनुरूप सभाभवन का निर्माण किया गया था । यह आईएएफ कार्मिकों द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु उपयोग किया गया था तथा असैनिक मुअक्किल अधिकृत नहीं थे । चूँकि सभाभवन मुख्यतः आईएएफ कार्मिकों की हितावश्यकता हेतु प्रयुक्त था, किराये की वसूली का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता । मंत्रालय का मन्तव्य स्वीकार्य नहीं है क्योकि सभाभवन का निर्माण 12140.82 वर्ग मीटर में प्रमुख एंव उच्च-मूल्यवान रक्षा भूमि पर किया गया तथा इसमें व्यवसायिक गतिविधियों से अर्जित समस्त राजस्व को गैर लोक निधि में जमा करना असंगत था । आगे मंत्रालय मन्तव्य कि सभाभवन का निर्माण तत्कालीन रक्षा मंत्री के निर्देशानुसार हुआ इसे सार्वजनिक निधि से अर्जित शुद्ध राजस्व के 50 प्रतिशत को जमा करवाने के सरकारी आदेश से मुक्त नहीं करता । लेखापरीक्षा ने पाया कि इस प्रथा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था तथा 1.95 करोड रूपये की रकम सरकार को 2006-07 से 2009-10 तक अर्जित राजस्व के 50 प्रतिशत के रूप में सरकार के प्रति देय थी ।

लेखापरीक्षा जांच में यह भी प्रकट हुआ कि अधोलिखित मामलों में केवल 2006-2007 में 2.71 करोड रूपये की रकम अनअधिकृत रूप से रेजिमेंटल फण्ड में जमा की गईः-

- गैर लौक निधि से निर्मित शॉपिंग कॉम्पलेक्सों के लिए 31.55 लाख रूपये की रकम सरकारी खजाने में पाँच कमानो (एन सी, डब्ल्यू सी, सी सी, ई सी तथा एस डब्ल्यु सी) में कम जमा की गई;
- गैर-लोक निधि से निर्मित शॉपिंग काम्पलेक्सों के साथ सरकारी भवनों के पुर्नःविनियोजन के लिए 56.29 लाख रूपये की रकम पाँच कमानो (एन सी, डब्ल्यू सी, सी सी, ई सी तथा एस डब्ल्यु सी) द्वारा रकम सरकारी खजाने में कम जमा की गई; तथा
- वर्ष 2006-07 में छः कमानों में सरकारी भवनों के पुर्नःविनियोजन से अथवा बडे निर्माण कार्य योजनाओं से निर्मित शॉपिंग कॉम्पलेक्सों के लिए 1.83 करोड रूपये की राशि सरकारी खजानों में कम जमा करवाई गई ।

रक्षा सम्पदा अधिकारी जालंधर कैण्ट ने शॉपिंग कॉम्पलेक्सों के प्रबन्धन पर लेखापरीक्षा अवलोकन आपत्ति के प्रत्युर में बताया कि सेना अधिकारी मनमाने ढंग से कार्य कर रहे थे । वे न तो उन्हें और न ही उनके प्रतिनिधियों को सभा में आमंत्रित करते, न ही उन्हें दुकानो के विवरणो की सूचना दे रहे थे। अक्तूबर 2009 में डीजीडीई ने बताया कि चूँकि रक्षा भूमि पर शॉपिंग कॉम्पलेक्सों का प्रबन्धन सेवाओं के आधीन था, वांछित सूचनाएं उनके पास नहीं थी चूँकि संबंधित अधिकरण ने डी ई ओज को सूचनाएं नहीं भेजी थी ।

सेना मुख्यालय ने इन अवलोकित आपत्तियों के उत्तर में अक्तूबर 2009 में बताया कि शॉपिंग कॉम्पलेक्सों को चलाने की नीति से संबंधित मंत्रालय का जून 2006 का पत्र असंगत है तथा विभिन्न प्रकार की दुकानें, विशेषतः रेजिमैंटल दुकाने जो रक्षा भूमि पर है, इन आदेशो के दायरे में नहीं आती। जुलाई 1976 के सरकारी आदेशों के अनुसार इन दुकानों से अर्जित आगम को रेजिमैंटल फण्ड में जमा करवाना अनुमेय था । यह भी कहा गया कि इन विसंगतियों के निराकरण के लिए एक व्यापक प्रारूप सरकारी पत्र (डी जी एल)मंत्रालय के विचाराधीन था ।

सेना मुख्यालय का उत्तर अस्वीकार्य एवं असंगत था चूँकि उपरोक्त मामले रेजिमेंटन दुकानों से इतर शॉपिंग कॉम्पलेक्सों से संबधिंत थे जहां जनवरी 2001 तथा जून 2006 के सरकारी आदेश लागू होते हैं । तदनुसार राजस्व सरकारी खजाने में जमा करवाना था ।

उपरोक्त मामले एंवम डी ई औज, सेना मुख्यालय व रक्षा मंत्रालय से प्राप्त उत्तर पूर्णतया रक्षा भूमि पर ऐसे शॉपिंग काम्पलेक्सों के प्रबन्धन और जवाबदेही की कमी को इंगित करते हैं । ये सभी मामले एल एम ऐज के द्वारा सरकारी आदेशो की विशुद्ध अवहेलना के साथ इन मामलों को देखने में मंत्रालय की निरूपायता की ओर इंगित करते हैं । मंत्रालय द्वारा जारी किए आदेशों का पूर्णरूपेन अनुपालन नहीं किया जा रहा था। एल एम ऐज प्रबंधन समितियों के अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों से मिल कर उनके द्वारा शॉपिंग काम्पलेक्सों के संचालन की सभी शक्तियाँ अपने पास रखे हुए थे । परिणामतः एल एम ऐज की मनमानी एवं पारदर्शिता की कमी के कारण भारी मात्रा में सार्वजनिक धन का प्रवर्तन गैर लोक निधियों में किया गया था।

3.5 परित्यक्त भूमि के संबंध में कार्यवाही की कमी

मंत्रालय और डी.जी.डी.ई. के अभिलेख की समीक्षा करने पर पाया गया कि सन् 1980 से पांच कमानों में सैन्य बलों के आवश्यकता के अतिरिक्त वायु क्षेत्रों एवं शिविर क्षेत्रों में 25,888.81 एकड़ भूमि जमीन खाली पड़ी थी। उन्होंने इसका न तो वैकल्पिक प्रयोग किया और न ही इसका निपटान किया। 7499.39 एकड़ भूमि का अतिक्रमण कर लिया गया। इस अतिक्रमित भूमि का प्रतिशत सभी कमांडों में अलग-अलग है, जो 16.10 प्रतिशत से और 38.96 प्रतिशत के बीच है जिनका विवरण तालिका 3 में हैः-

तालिका-3

खाली वायु क्षेत्र/शिविर परिसर और अतिक्रमण पर कमान अनुसार स्थिति

क्रम सं.	कमान	कुल क्षेत्र (एकड़ में)	अतिक्रमण क्षेत्र (एकड़ में)	अतिक्रमित क्षेत्र (प्रतिशत में)
1.	दक्षिणी कमान	5899.15	2298.60	38.96
2.	उत्तरी कमान	811.92	267.00	32.88
3.	पूर्वी कमान	6242.89	1687.67	27.03
4.	मध्य कमान	11399.77	2998.94	26.31
5.	पश्चिमी कमान	1535.08	247.18	16.10
	कुल	**25,888.81**	**7499.39**	**28.97**

मंत्रालय ने सन् 1983 में कहा कि कोई अतिरिक्त भूमि नहीं थी। मंत्रालय के पास ए.ए. एफ्स एवं सी. जीज़ की देखभाल करने के लिए 2.24 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष के किए आउटसोर्सिंग के लिए सेना मुख्यालय ने 2008 में प्रस्ताव भेजा था।

डी जी डी ई ने अपने उत्तर में बताया कि कैम्पिंग ग्रांऊड्स और परित्यक्त एयरफील्ड्स के मामले पर रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में दिनाँक 15 दिसम्बर 2010 में गठित एक बैठक मे विचार–विमर्श किया गया था तथा यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे ग्रांऊड्स की जोकि सैन्य स्टेशनों से सटे है, देखभाल सैन्य प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी तथा दूर–दराज के ग्रांऊड्स के लिए सुरक्षा सेवाएं किराए पर लेने की बाबत विचार मामला दर मामला आधार पर किया जाएगा।

लेखा परीक्षा के दौरान कई अन्य मामले जानकारी में आयेः-

- दक्षिणी कमान के तीन वायु क्षेत्रों (उलुन्दर्पेट, चेट्टीनाडू, कयतनार वायुक्षेत्रों) का कुल भाग 253.94 एकड़ भूमि को अधिशेष घोषित किया गया। सन् 1985 से दो वायु क्षेत्रों के 15.86 एकड़ भूमि तमिलनाडू नागरिक आपूर्ति निगम (टी एन सी एस सी) के कब्जे में है। फरवरी

1985 से जुलाई 2009 तक पट्टे किराये की कुल राशि 58.66 लाख रूपये के राजस्व की वसूली भी नहीं की गई ।

- एक अन्य वायु क्षेत्र में कुल 314 एकड़ भूमि सन् 1991 में छोड़ी गई थी और डी ई ओ चेन्नई द्वारा इसका निपटान भी किया जाना था। सेना भूमि के भारी अतिक्रमण एवं असीमांकन के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी।

- 29 शिविर भूमियो की 461.85 एकड़ भूमि जो आंध्र प्रदेश में स्थित है राज्य सरकार के साथ विवादित थी। डी ई ओ सिकन्दराबाद ने जी एल आर से इन शिविर क्षेत्रों को हटाने की संस्तुति की थी।

- सन् 2004-05 में सैन्य फार्म भूमि के तीन स्टेशनों (मंजूरी, पिम्परी और किड़की) से 1768.72 एकड़ भूमि को अधिशेष धोषित की थी। बाद में इसे एल एम ए द्वारा 2008 में ले लिया गया। परन्तु जून 2010 तक इसके उपयोग के संदर्भ में अंतिम निर्णय की प्रतिक्षा में यह जमीन बिना उपयोग के ही पड़ी रही। एवं

- पूर्वी कमान के दमदम के एक वायु क्षेत्र की 595.12 एकड़ भूमि जो 1929 में अधिसूचित की गई थी, राज्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा खसरावार आँकड़े नहीं भेजे जाने के कारण निष्पादित नहीं की जा सकी।

फरवरी 2010 में महानिदेशक रक्षा संपदा ने बताया कि आवश्यक जानकारी डी.ई.ओ/पी.डी.डी कमान से मांगी गई है और मिलने पर इसे सम्यक अनुक्रम में भेज दी जाएगी। अगस्त 2010 में सेना मुख्यालय ने कहा कि त्यागी गई सेना भूमि, मंत्रालय और डी जी डी ई द्वारा देखी जाएगी। लेखा-परीक्षा को उनसे विवरण प्राप्त करने की सलाह दी गई थी। मंत्रालय ने अगस्त 2010 में लेखा परीक्षा से यह जानकारी सेना मुख्यालय और डी जी डी ई से प्राप्त करने के लिए कहा।

उपरोक्त जबाव रक्षा भूमि के प्रबंधन के संदर्भ में उत्तरदायित्व के कमी को उजागर/प्रदर्शित करता है। यह दिखाता है कि ना ही मंत्रालय न ही सेवायें और यहाँ तक की डी ई ओ के भी किसी प्राधिकारी पर भूमि प्रबंधन का कार्यभार नहीं था। अंतरिक लेखा-परीक्षा ने भी, सेना के वृहत्त सैन्य भूमि के देख-रेख में रूचि की कमी, दक्षता या चक्रगति के संदर्भ में कोई जाँच या टीका-टिप्पणी नहीं की।

3.6 रक्षा भूमि पर अतिक्रमण

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 1997 के संख्या 7 पैरा 18.9 में सन्दर्भित था कि पॉच डी ई ओ सर्किल जैसे कि मद्रास (वर्तमान में चैन्नई), इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ और हैदराबाद के अतिक्रमण की लेखापरीक्षा की जॉच में दर्शाया गया था कि इन पॉच सर्किल के अन्तर्गत कुल 635 एकड़ की रक्षा भूमि का अतिक्रमण किया गया है। लेखापरीक्षा पैरा के जवाब में अक्तूबर 2001 में मंत्रालय ने सूचित किया कि आगे अतिक्रमण की रोकथाम के लिए और लोक परिसर एक्ट 1971 (अनाधिकृत अधिभोक्ता को मुक्त कराना) के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए थे।

हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि थल सेना प्राधिकारी और रक्षा सम्पदा संगठन ने भूमि अतिक्रमण की रोकथाम के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। **रक्षा भूमि का अतिक्रमण का क्षेत्र जनवरी 1997 में 6903 एकड़ से बढ़कर जुलाई 2009 में 14,539.38 एकड़ हो गया था।** लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि भूमि की जॉच नहीं की जा रही थी तथा रक्षा सम्पदा संगठन द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्र भी नहीं भेजा रहा था। डी जी डी ई ने जुलाई 2010 में लेखापरीक्षा को सूचित किया कि आवश्यक सूचना प्राप्त की जा रही थी तथा प्राप्त होने पर भेज दी जाएगी। इस प्रकार भूमि के अतिक्रमण में

बढ़ोतरी इसके प्रबंधन के लिए रक्षा प्राधिकारियों की विफलता के कारण हुई। मंत्रालय तथा डी जी डी ई मामले का अर्न्वषण के लिए जाँच पड़ताल की नियमित प्रक्रिया तथा एल एम ए प्राधिकारी एवं डी ई ओज द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी करने को मॉनीटर करने में विफल रहा जिससे ये अतिक्रमण हुए।

लेखापरीक्षा के दौरान, अतिक्रमण के कुछ मामले नोटिस में आये जिनमें भूमि पर निजी व्यक्तियों और साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है तथा इन भूमियों का रक्षा मंत्रालय के पक्ष में नामान्तरण नहीं हुआ था। जहाँ नामान्तरण और अतिक्रमण के बीच कोई सीधा संबंध नहीं हो सकता, वहीं भूमियों को खाली कराना कठिन होगा, चूँकि राज्य सरकारों के भू-अभिलेखों में इनको रक्षा मंत्रालय के कब्जे में नहीं दिखाया जाएगा।

3.7 विज्ञापन पट्ट एवं पार्किंग स्थल

मंत्रालय के नवम्बर 1989 की नीति के अनुसार महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चैन्नई एवं मुम्बई स्थित रक्षा भूमि पर लगाए गए विज्ञापन पट्ट के लिए रक्षा भूमि का लाइसेंस एक कमेटी द्वारा तय किया जाना है जिसके सदस्य रक्षा सम्पदा अधिकारी, स्टेशन कमाण्डर के प्रतिनिधि, पुलिस आयुक्त तथा नगर निगम (ऐसे मामले नियंत्रित करने वाले कोई अन्य प्राधिकारी) होंगे। यद्यपि छावनी के बाहर की अन्य रक्षा भूमि के संबंध में कमेटी के अन्तर्गत स्टेशन कमाण्डर और रक्षा सम्पदा अधिकारी सदस्य होंगे। रक्षा सम्पदा अधिकारी स्टेशन कमाण्डर से अनापत्ति-पत्र प्राप्त करने के बाद रक्षा भूमि पर विज्ञापन पट्ट को लगाने के उद्देश्य से लाइसेंस देने के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक मामलों में, लाईसेंस की अवधि एकरूप से दो वर्ष होगी। लाइसेंस आम नीलामी द्वारा दिया जाएगा। तथापि उन मामलों में जहॉ कारण लिखित रूप से अंकित है, डी ई ओ, पी डी डी ई कमान के पूर्व अनुमोदन से आम सूचना के द्वारा निविदा मगॉकर इसका निपटान कर सकता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं-

- मध्य कमान के अन्तर्गत आगरा के दो मामलों में छावनी कार्यकारी अधिकारी ने 1991 से 2007 तक की अवधि के लिए विज्ञापन एवं पार्किंग की जगह की नीलामी की। हालॉकि डी ई ओ, पी डी डी ई मध्य कमान, लखनऊ के द्वारा बोली के निर्णयण नहीं दिए जाने के कारण जगह की नीलामी अगले दो वर्षो में नहीं हो सकी। जुलाई 2007 और फरवरी 2009 में विज्ञापित बोली के आधार पर मध्य कमान आगरा के डी ई ओ ने जुलाई 2007 तथा फरवरी 2009 में विज्ञापन पट्ट के लिए जगह की नीलामी की और उच्चतम प्राप्त बोली क्रमशः 2.5 लाख रूपये तथा 5.11 लाख रूपये थी। दोनो ही अवसर पर प्रक्रियात्मक कमियों तथा पहचान किए गए जगहों के अप्रवरण के आधार पी डी डी ई, मध्य कमान, लखनऊ द्वारा उच्चतम बोली स्वीकार नहीं की गई। सितम्बर 2009 तक दो वर्ष से अधिक समय से ठेका नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 10.11 लाख रूपये का घाटा हुआ।
- दक्षिणी कमान के एल एम ए द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में देरी तथा आगे किरकी और औंध में उपलब्ध विज्ञापन पट्ट स्थान के 50 प्रतिशत तक सीमित करने से लगभग 52 लाख रूपये की हानि हुई। स्टेशन मुख्यालय किरकी/डी ई ओ पूणे ने कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।
- दक्षिणी कमान पूणे में विज्ञापन पट्ट स्थान के संबंध में दूसरे वर्ष के अनुज्ञा शुल्क की वसूली में 50.69 लाख रूपए की कमी अवलोकित की गई। डी ई ओ पुणे ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। एवं

- मध्य कमान आगरा के डी ई ओ द्वारा गाड़ियों की पार्किंग के लिए कुल जगह 0.65 एकड़ की 21 महीनों तक नीलामी नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप 25.29 लाख रूपए का नुकसान हुआ। डी ई ओ ने इस नुकसान को स्वीकार किया तथा मामले को पी डी डी ई मध्य कमान से नियमित कराने के लिए प्रस्तुत किया।

अगस्त 2010 में सेना मुख्यालय ने कहा कि वे विज्ञापन/विज्ञापन पट्ट के किसी भी ब्यौरे का रखरखाव नहीं कर रहे थे और यह डी.जी.डी.ई. से प्राप्त किया जा सकता था। डी.जी.डी.ई. ने अगस्त 2010 में सूचित किया कि वह निर्धारित सूचना पूरी कर रहे है जोकि प्राप्त होने पर दी जाएगी। मत्रालय ने भी कोई विर्निदिष्ट टिप्पणी नहीं की। अगस्त 2010 में लेखापरीक्षा को डी.जी.डी.ई./सेना मुख्यालय से आवश्यक सूचना देने को कहा।

इस प्रकार, नवम्बर 1989 के सरकारी नीति के अनुसार सम्भव राजस्व उत्पन्न करने के लिए निरन्तर उपलब्ध खाली भूमि का अनुपयोग रक्षा सम्पत्तियों के व्यवस्थित प्रबन्धन की कमी की ओर संकेत करता था जिसके परिणामस्वरूप संसाधन निष्क्रिय पड़े रहे और सरकार को हानि हुई।

3.8 गोल्फ एवं अन्य क्रियाकलापों हेतु रक्षा भूमि का अनाधिकृत उपयोग

3.8.1 गोल्फ कोर्सेज

छावनी भूमि प्रशासन (सी.एल.ए.) नियम 1937 के भाग 5 के अनुसार, मनोरंजन स्थल जो केवल सैन्य दल के लिए ही आरक्षित नहीं है बल्कि समुदाय के सिविल सदस्यों के लिए भी खुला है, वर्ग रूए- भूमि के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता। गोल्फ कोर्सेज तथा रेस कोर्सेज को सैन्य मनोरंजन स्थलों की परिभाषा के अन्दर नहीं रखा गया। यदि भूमि की आवश्यकता गोल्फ कोर्सेज के लिए है, तो इस उद्देश्य के लिए रक्षा सम्पदा अधिकारी से भूमि पट्टे पर ही ली जा सकती है। रक्षा सेवाओं के लिए आवासीय पैमाने में गोल्फ एक प्राधिकृत कार्यकलाप में सम्मिलित नहीं है। इसलिए गोल्फ भूमियों और परिचर गतिविधियों को सैन्य गतिविधियों में विचारणीय नहीं है और ए-1 भूमि को गोल्फ कोर्सेज के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

थलसेना प्रमुख ने 2004 में निर्देश दिया कि गोल्फ केवल मनोरंजन की गतिविधि नहीं है बल्कि खेल की गतिविधि भी है। उन्होंने फिर निर्देश दिया कि गोल्फ कोर्सेज का नाम सेना पर्यावरणीय पार्क और प्रशिक्षण क्षेत्र किया जाए। इस सेना पर्यावरणीय पार्क और प्रशिक्षण क्षेत्र के लिए ए-1 सेना भूमि का प्रयोग चालू रखा जाए। उन्होंने फिर निदेश दिया कि गोल्फ कोर्सेज पर कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जाएगी जैसे कि निगमित निकायों द्वारा गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन।

3.8.1.1 निजी पंजीकृत निकाय द्वारा कार्यान्वयन

गोल्फ कोर्सेज आर्मी जोन गोल्फ एक निजी पंजीकृत सोसायटी द्वारा कार्यान्वित थी। इस क्लब के सदस्य न केवल सेवा कार्मिक थे बल्कि भूतपूर्व सैनिक, सिविलयन्स और विदेशी भी थे। सदस्यता व्यक्तिगत सदस्यों और आजीवन सदस्यों के लिए विभिन्न दरों पर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर देय थी। इसके अतिरिक्त, वार्षिक शुल्क भी इकट्ठा किया जाता था। इस प्रकार, सरकारी सम्पत्तियो का प्रयोग करने के लिए, यहाँ किराया और सहबद्व कार्यभार को भुगतान किए बिना भारी यात्रा में राजस्व का अर्जन किया गया । कम से कम 16 ऐसे गोल्फ कोर्सेज विभिन्न कोटि के सिविलियन्स को मासिक शुल्क के भुगतान पर सदस्यता दे रहे है। प्रति सत्र अन्य प्रभार भी लगाए जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न हुई राजस्व को सरकारी खातों में जमा नहीं किया गया और संभावतः इसे रेजिमेन्टल निधि में जमा किया गया ।

उपलब्ध रिकार्ड से लेखापरीक्षा को प्राप्त आंकड़ो के अनुसार अगस्त 2009 तक 97 इस तरह के गोल्फ कोर्सेज (***परिशिष्ट-IV***) सेना के अन्तर्गत चल रहे है। 79 ऐसे गोल्फ कोर्सेज का कुल क्षेत्र 8076.94 एकड़ था। शेष 18 गोल्फ कोर्सेज के ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराये गये।

गोल्फ कोर्सेज की स्थिति की ऐसी विषमता के बावजूद, रक्षा मंत्रालय ने गोल्फ कोर्सेज और उससे संबंधित कार्यो से उत्पन्न राजस्व के प्रयोग के लिए कोई नियम नहीं बनाया । इतने विशाल क्षेत्र को गोल्फ कोर्स के लिए उपयोग करने के बावजूद ऐसे कोर्सेज की स्थिति किसी अनुमोदित नीति अथवा नियम के अभाव में अस्पष्ट बनी हुई है। यह प्राधिकारियों को इन कोर्सेस को ना केवल खेल तथा मनोरंजनात्मक उद्देश्य के लिए उपयोग करने अपितु सेवा कार्मिकों से अलग अन्य व्यक्तियों को इनका उपयोग करने की अनुमति देकर राजस्व कमाने का अवसर दिया है।

3.8.1.2 थलसेना मुख्यालय और डी जी डी ई द्वारा परस्पर विरोधी कदम

सेना प्राद्यिकरण के अनुसार गोल्फ कोर्सेस वास्तव में पर्यावरण उद्यान है जो स्टेशन के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते है। ये सैन्य दलों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण स्थल की तरह भी उपयोग होते है। नवम्बर 2009 में, मंत्रालय में एक आयोजित सभा जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त सचिव ने की, उसमें मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय ने स्वीकार किया कि गोल्फ खाली भूमि पर खेला जाता था जो कि के एल पी के लिए प्राधिकृत है और जब के एल पी निर्माण होगा तब खाली कर दिया जाएगा। रक्षा सम्पदा संगठन ने रेखांकित किया कि 1937 के सी एल ए नियम तथा 1983 (अब 2009) के आवासीय पैमाने के अनुसार गोल्फ कोर्सेस ए-1 रक्षा भूमि के लिए अनुमति नहीं है, क्योंकि गतिविधि के लिए भूमि के एक बड़े भाग की जरूरत है जिससे के एल पी प्रभावित होती है तथा भूमि भी उपलब्ध नहीं रहती जब के एल पी के अनुसार ईकाई आती है।

ए एच क्यू तथा डी जी डी ई द्वारा लिया गये कदम विरोधाभासी थे तथा इन कोर्सेस की अवस्था/स्थिति की स्पष्टता और वैधानिकता की आवश्यकता है। विरोधाभासी कदम इस तथ्य से भी प्रतीत होते हैं कि डी जी डी ई ने फरवरी 1989 से फरवरी 2008 की अवधि के लिए जनवरी 2008 तक दिल्ली केंटोनमेंट के सेना गोल्फ कोर्से के लिए 54.95 करोड़ रूपये के बकाया पट्टे किराये की गणना की है जैसा की सी एन्ड ए जी की 2008-09 के प्रतिवेदन सं0 सी ए 17 के प्रतिवेदन 2.7 में उल्लेखित है।

डी जी डी ई ने जुलाई 2010 में कहा कि गोल्फ कोर्स को पट्टे पर देने संबंधी कोई प्रस्ताव उनके कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। पट्टे का किराया तब तक नहीं वसूला जा सकता जब तक पट्टे का नवीनीकरण नहीं किया गया हो। सेना मुख्यालय ने अगस्त 2010 में बताया कि ए-1 भूमि पर केवल गोल्फ कोर्स ही नहीं चल रहा है, जिस पर गोल्फ खेला जाता है वहॉ पर्यावरण बगीचे तथा प्रशिक्षण क्षेत्र हैं। ए-1 भूमि का प्रयोग गोल्फ के लिए करने का प्रस्ताव सरकार के पास जनवरी 2010 में ले जाया गया। सेना गोल्फ मंडल, भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को सदस्यता प्रदान करना और निर्धारित शुल्क के जमा करने मामलों में जवाब खामोश है और किसी भी प्रकार की राशि सरकारी निधि में जमा नहीं कराई गई है। मंत्रालय ने अगस्त 2010 में कहा कि गोल्फ कोर्सों का विवरण, पट्टा अनुबंध, किराए की राशि इत्यादि के बारे में उनके पास जानकारी उपलब्ध नहीं है और लेखापरीक्षा से कहा कि इनके बारे में जानकारी डी जी डी ई / सेना मुख्यालय से प्राप्त कर लें और चूँकि ये गोल्फ कोर्सेस आर्मी जोन गोल्फ, एक निजी पंजीकृत निकाय द्वारा कार्यान्वयित होते हैं इसके रिकार्ड लेखापरीक्षा को हासिल नहीं हो सका।

3.8.2 विद्यालयों के लिए रक्षा भूमि का उपयोग

रक्षा सेवाओं के आवासी पैमाना सैन्य स्टेशनों पर जहॉ ऐसी सुविधा नहीं है अथवा शिक्षा व्यवस्था अपर्याप्त है तथा जहॉ यह पाया जाए कि संबंधित राज्य अधिकारी द्वारा बच्चों के विद्यालय की स्थापना

सम्भव नहीं है, बच्चों के स्कूल के लिए आवास के प्रावधान को प्राधिकृत करता है। पुनः जनवरी 2001 में मंत्रालय ने यह निर्देश दिया कि विद्यालय चलाने के लिए थलसेना कल्याण शिक्षा सोसायटी (ए डब्ल्यू ई एस) को भूमि आवंटन के लिए कैबिनेट के अनुमोदन की जरूरत है तथा मौजूदा विद्यालयों का भी नियमन करने की जरूरत है ।

गोल्फ कोर्स के मामले की तरह विद्यालयों के संबंध में भी यह देखा गया कि स्थानीय प्राधिकारियों ने ए.डब्ल्यू.ई.एस. जैसी निजी पंजीकृत सोसायटियों को उल्लेखित आदेश के विपरीत रक्षा भूमि उपयोग के लिए अनुमति प्रदान कर दी थी। आर्मी पब्लिक स्कूल (ए.पी.एस.) तथा ए डब्ल्यू ई एस द्वारा चलाए जा रहे दूसरे विद्यालयों से संबंधित अनियमितताएं जो लेखापरीक्षा में पाई गई को नीचे दिया गया है:-

3.8.2.1 आर्मी पब्लिक स्कूल

मामला-I आर्मी पब्लिक स्कूल, डगशाई

सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 8 वर्ष 1994 के पैरा 76 में हिमाचल-प्रदेश के डगशाई में रक्षा भवन में आर्मी पब्लिक स्कूल के अनाधिकृत चलने की बात की गई। सीएजी की रिपोर्ट संख्या 8 वर्ष 1996 पैरा 69 के अन्तर्गत उसी विद्यालय के अधीन भवनों तथा जमीन के सेवाशुल्क तथा रखरखाव शुल्क का भुगतान रक्षा निधि से करने की अनियमितता एवं उनके कर्मचारी के कब्जे में विवाहित निवास पर किराया और संबंधित शुल्क की वसूली नहीं करने को इंगित किया गया।

नवम्बर 2000 में की गई कार्यवाही टिप्पणी के तहत, मंत्रालय दोनों मुद्दों के नियमाकूलन के लिए सहमत हो गया। जुलाई 2009 में लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उद्घाटित हुआ कि आर्मी पब्लिक स्कूल डगशाई के संचालन की अनियिमता अभी भी जारी है। स्कूल ने प्राधिकृत 14 एकड़ भूमि के बजाए 40 एकड़ भूमि पर कब्जा किया है तथा वैवाहिक आवास के अधिग्रहण के कारण उनके कर्मचारीगणों से देय किराया तथा सम्बन्धित प्रभार सितम्बर 2009 तक बढ़कर 4.18 करोड़ रूपये हो गया है। अनियमितता को ठीक करने के मंत्रालय के आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाही नहीं की गई ।

2003 के सी ए जी के प्रतिवेदन सं. 6 के पैरा 2.6.3.3 तथा 2.6.3.4 में भी स्कूल के अनाधिकृत संचालन का उल्लेख किया गया था। इन स्कूलों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार थी।

मामला-II आर्मी पब्लिक स्कूल, कपूरथला

ए डब्ल्यू ई एस के संरक्षण में कपूरथला के छावनी क्षेत्र की 41.665 एकड़ भूमि पर बने आर्मी पब्लिक स्कूल के सम्बन्ध में, नवम्बर 2004 में मंत्रालय ने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल कपूरथला के नियमाकूलन का प्रस्ताव विचाराधीन है, यद्यपि पश्चिमी कमान के मुख्यालय ने नवम्बर 2009 में सूचित किया व्यय खर्चा तथा स्कूल के नियमाकूलन की सरकारी संस्वीकृति प्रतीक्षाधीन थी।

मामला-III कोकेरेल प्राथमिक / आर्मी स्कूल, रॉची

मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त किए बिना 1993 में रॉची में आर्मी स्कूल तथा कोकेरेल प्राथमिक स्कूल के लिए 7.52 एकड़ रक्षा भूमि के आबंटन के सम्बन्ध में, मंत्रालय ने नवम्बर 2004 में कहा कि, क्योंकि कोकेरेल प्राथमिक / आर्मी स्कूल ए.एच.क्यू. के अनुमोदन से स्थापित हुआ था, इसलिए कोई किराया तथा सम्बन्धित खर्चा उस पर भारित नहीं था। बाद में ए.एच.क्यू. को स्कूल के लिए रक्षा भूमि के आबंटन को नियमानुकूल करने तथा किराया तथा अन्य प्रभार के अधित्याग को मंत्रालय से अनुमोदन लेने को कहा गया। झारखण्ड, उड़ीसा, बिहार उप क्षेत्र मुख्यालय (नवम्बर 2009) के अनुसार इस विषय पर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।

मामला - IV आर्मी पब्लिक स्कूल, महू

स्कूल के लिए 14 एकड़ भूमि के प्राधिकार के विरूद्ध, महू के आर्मी स्कूल (1987 में स्थापित) को 17.42 एकड़ भूमि प्रदान की गई।

मामला - V आर्मी पब्लिक स्कूल, लखनऊ

मध्य कमान में 19 एकड़ भूमि पर (वर्ष 1990 में स्थापित) ए.पी.एस. लखनऊ पर अकेले वर्ष 2008-2009 के लिए 48.44 लाख रूपये का सेवा प्रभार रक्षा कोष में से भुगतान किया गया था। लखनऊ में दूसरा ए.पी.एस. (जो 2008 में स्थापित हुआ) निर्धारित 14 एकड़ भूमि के विरूद्ध 19 एकड़ भूमि पर बनाया गया था, जिसको नियमित कराना अभी बाकी था ।

दूसरे शब्दों में, ऐसे स्कूलों को, जो यर्थात सरकारी अनुज्ञप्तियों के बिना और मंत्रालय के आदेश के विपरीत कार्य कर रहे हैं, नियमित कराने के लिए मंत्रालय के आश्वासन के बावजूद इनको काफी समय गुजरने के बावजूद नियमित करना बाकी है ।

3.8.2.2 ए.डब्ल्यू.ई.एस.द्वारा चलाये जा रहे स्कूल

रक्षा भूमि के आबंटन के लिए कैबिनेट की स्वीकृति लेते हुए मंत्रालय के जनवरी, 2001 के आदेशों के विचलन में ए.डब्ल्यू.ई.एस.को सेना मुख्यालय ने मार्च, 2003 और अप्रैल, 2004 के बीच में छः स्टेशनों पर उनके द्वारा चलाए जा रहे बच्चों के स्कूलों की इमारतों के निमार्ण कार्य के लिए 43.29 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी । कुल मिलाकर ए. डब्ल्यू. ई. एस. द्वारा संचालित 38 ऐसे बच्चों के स्कूल सितम्बर, 2009 तक परिचालित थे ।

लेखापरीक्षा टिप्पणी के जबाव में सेना मुख्यालय ने अक्टूबर, 2009 को सूचित किया कि मंत्रालय के जनवरी, 2001 के अनुदेश गैर सार्वजनिक धन के बाहर निर्मित स्कूलों के लिए लागू थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मंत्रालय का पत्र दर्शाता था कि ए.डब्ल्यू.ई.एस.के तत्वाधान में स्कूलों को चलाने के लिए भूमि के आंबंटन के लिए कैबिनेट का अनुमोदन आवश्यक था और इस सभी मामलों में ऐसा कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी में स्कूलों की स्थापना भी स्केल आफ एकोमोडेशन आदि में निर्धारित सामान्य स्थितियों द्वारा नियंत्रित थी। जुलाई, 2010 में डी जी डी ई ले इस दलील पर, कि यह विषय उपयोगकर्ताओं से सम्बन्धित है, कोई भी टिप्पणी देने से मना कर दिया । मंत्रालय ने अगस्त, 2010 तक कोई जबाव नहीं दिया और इसका जबाव सेना मुख्यालय से प्राप्त करने के लिए कहा ।

सी.ए.जी.की रिर्पोटों में अनियमित रूप से चल रहे स्कूलों के मामलों के साथ साथ एक क्षेत्र में एक स्कूल की पात्रता के विपरीत कई स्कूलों को चलाने के मामलों की बार बार रिपोर्टिंग के बावजूद इसको बंद नहीं किया गया और वही अनियमितता बेरोकटोक चलती जा रही थी ।

3.8.3 पार्कों/क्लबों के लिए रक्षा भूमि का अनाधिकृत उपयोग

रक्षा भूमि के व्यापक वाणिज्यिक उपयोग के प्रसार को देखते हुए, प्रधान मंत्री कार्यालय ने अगस्त, 1997 में यह निर्देश जारी किए कि कैबिनेट की पूर्व स्वीकृति के बिना रक्षा भूमि का कोई हस्तांतरण / विमुखीकरण नहीं किया जाएगा । मंत्रालय ने जनवरी, 2002 में पुनः समीक्षा की कि रक्षा कर्मियों और उनके परिवार को मनोरंजन की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए कई क्लबों ने अपनी गतिविधियों का विस्तार कर लिया है और असैनिक कर्मचारियों को भी क्लब के सदस्यों के रूप में शामिल किया। इस प्रकार रक्षा कार्मिकों और उनके परिवारों के लिए अनुमत्त फायदों को निजी सदस्यों

में प्रवाह करते हुए जिस उद्देश्य के लिए भूमि का आबंटन किया गया था उस उद्देश्य में असफल हुए। मंत्रालय ने सेवाओं के मुख्यालयों और डी.जी.डी.ई. को ऐसे मामलों में पट्टे की समाप्ति के लिए का कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्देश जारी किए ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया किः-

3.8.3.1 सार्वजनिक पार्क

मंत्रालय की अनुमति के बिना भटिंडा और बंगलूरू स्टेशनों पर 32 एकड़ रक्षा भूमि सार्वजनिक पार्कों को खोलनें के लिए प्रयोग की गई। चेतक पार्क भटिंडा का भी व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा था। सेना कार्मिक इन पार्कों की देख-रेख कर रहे थें। भटिंडा के मामले में डी.ई.ओ.को पता ही नहीं था कि यह पार्क उसके क्षेत्राधिकार में है।

3.8.3.2 क्लब

मध्य और दक्षिण कमानों में, चार स्टेशनों (आगरा, लखनऊ, सिकन्दराबाद एंव पूणें) में 122.58 एकड़ सेना भूमि को कई क्लबों को मामूली दरों पर पट्टे पर दिया गया था। भूमि का उपयोग अप्राधिकृत उद्देश्यों जैसे शादियों, पार्टियों, प्रदर्शनियों आदि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। चार क्लबों के विरूद्ध 2004-05 से 2009-10 वर्षो से (सितम्बर 2009 तक) 2.14 करोड़ रूपये की वसूली बकाया थी।

आगरा क्लब, आगरा

आगरा क्लब, जो 17.68 एकड़ भूमि पर बना हुआ था, क्लब की गतिविधियों के लिए मार्च 1922 से अनिश्चित समय के लिए 58.92 रूपये वार्षिक किराये की अदायगी पर पट्टे पर दिया गया था। क्लब के अधिकारियों ने बहुत अधिक अप्राधिकृत निर्माण कर लिया था तथा उक्त भवन की क्षति के लिए जुलाई 2008 से मई 2009 के लिए 1.61 करोड़ रूपये की राशि बकाया थी जिसे क्लब अधिकारियों द्वारा जून 2009 तक सरकार को भुगतान करना था ।

एम.बी.क्लब, लखनऊ

19.57 एकड़ के माप की रक्षा भूमि जनवरी 1931 से एम.बी.क्लब को पट्टे पर दी गई थी। जुलाई 2006 से सितम्बर 2009 के लिए भूमि के व्यवसायिक उद्देश्य के अनाधिकृत प्रयोग के लिए 34.21 लाख रूपये की क्षति राशि का हर्जाना अक्टूबर 2009 तक वसूला किया जाना बाकी था।

रायल वेस्टर्न इण्डिया टर्फ क्लब, पुणे

पूणें छावनी में बने हुए 65.15 एकड़ माप का रेस ट्रेक रायल पश्चिमी भारत टर्फ क्लब लिमिटेड, पुणे को फरवरी 1907 से पट्टे पर दिया गया। क्लब ने 24.10 एकड़ माप की अतिरिक्त रक्षा भूमि को अनाधिकृत कब्जे में कर लिया था तथा पट्टे पर दी गई संपत्ति पर सक्षम प्राधिकारी की उपयुक्त मंजूरी के बिना परिवर्धन /परिवर्तन कर लिया था। उनके विरूद्ध 2002-2003 से 2006-2007 वर्षों के लिए 19.15 लाख रूपये की राशि बकाया हो गई थी ।

सिकन्दराबाद, क्लब

बी-3 के रूप में वर्गीकृत 20.18 एकड़ के माप की भूमि का बंगला संख्या 220, जिसे सिकन्दराबाद क्लब के नाम से जाना जाता है, को सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए क्लब को दिया गया था। क्लब ने भूमि पर अनाधिकृत निर्माण कर लिया था जिसमें 33 अतिथि कमरे, भोजनालय, पेट्रोल पम्प आदि थे तथा इसके लिए वह 2400 से 3000 रूपये प्रतिदिन प्रति कमरे के लिए किराया वसूल कर रहा था। अनाधिकृत निर्माण का मामला न्यायाधीन था।

उपर्युक्त लेखा परीक्षा आपत्ति के जबाव में डी.जी.डी.ई. ने जुलाई 2010 में कहा था कि आगरा और लखनऊ क्लबों से सम्बन्धित सूचना निचले संगठन से मंगाई गई है तथा प्राप्ति पर उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा ।

3.9 भूमि के अनाधिकृत उपयोग के अन्य मामले

लेखापरीक्षा में देखे गए भूमि के अनाधिकृत उपयोग के अन्य मामले निम्नलिखित थेः-

बंगलूरू में रक्षा इमारतें जिनका उपयोग गैर रक्षा/अनाधिकृत उद्देश्यों के लिए किया गया

- बंगलूरू में एल.एम.ए.की हिरासत, नियंत्रण और प्रबन्धन के अधीन 1.81 एकड़ क्षेत्र पर बनी सात रक्षा इमारतों का 1994 - 95 से मंत्रालय की संस्वीकृति के बिना गैर रक्षा उद्देश्यों, जैसे कि होटल प्रबन्धन संस्थान, लडकियो और लड़कों के छात्रावास आदि के लिए उपयोग किया जा रहा था। मार्च 2009 तक 6.45 करोड़ रूपये का उपार्जित किराया था ।

- बंगलूरू में वायु सेना के प्राधिकारी बिना उचित मंजूरी के रक्षा भूमि का अनाधिकृत उद्देश्यों, जैसे शॉपिंग काम्प्लेक्स , निजी इंजीनियरिंग कालेजों, सिनेमा, बैकों के लिए उपयोग कर रहे थे ।

- मुख्यालय प्रशिक्षण कमान, बंगलूरु के नियंत्रण में चार वायु सेना स्टेशनों में बनी हुई दस इमारतों का 1983 और 1993 के बीच में पुनः विनियोजन किया गया था और इसका उपयोग रक्षा सेवा कर्मिकों के बच्चों द्वारा छात्र अध्ययन केन्द्रों/एफवा (ए.एफ.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.) छात्रावास के रूप में किया जा रहा था। जुलाई 2007 में, वायु मुख्यालय ने चार वायु स्टेशनो पर छात्र अध्ययन केन्द्र खोलने की कार्योत्तर मंजूरी लेने का मामला मंत्रालय में उठाया। प्रस्तावों की जाँच के बाद मंत्रालय का मत था कि मामला गंभीर है और वायु मुख्यालय को एक जाँच अदालत को स्थापित करने तथा जिम्मेदारी तय करने का आदेश दिया। यद्यपि वायु मुख्यालय ने मई 2008 में डी.जी.डी.ई.को मामला टिप्पणी के लिए भेजा था, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई (सितम्बर 2009) ।

लेखा परीक्षा प्रश्न के जबाव में, डी.ई.ओ. बंगलूरू ने पुष्टि की कि उन्होनें रक्षा भूमि का गैर रक्षा उद्देश्यों के उपयोग के लिए मंत्रालय से कोई मंजूरी प्राप्त नहीं की।

बेलगाम छावनी

- बेलगाम छावनी में 1280 स्क्वायर फीट की अतिरिक्त भूमि भारतीय तेल निगम (आई.ओ.सी.) के पास अवैध कब्जे में थी। उन्होनें बी-श्रेणी भूमि के समीप अपनी सीमाओं को बढ़ा लिया ।

- कर्नाटक राज्य सड़क यातायात निगम (के.एस.आर..टी.सी.) ने 1988 में बेलगाम छावनी में 0.2 एकड़ की रक्षा भूमि पर कब्जा कर लिया। भूमि को 2005 में वापस ले लिया गया था

परन्तु बीच के समय का क्षति किराया का न तो ब्योरा बनाया गया और न ही उसके लिए दावा किया गया।

भूमि के अनाधिकृत उपयोग के लिए किसी भी एजेंसी ने जिम्मेदारी नहीं ली । डी.जी.डी.ई. ने जुलाई 2010 में कहा कि इस सम्बन्ध में सूचना सेना मुख्यालय से ली जानी चाहिए क्योंकि भूमि एल.एम.ए. के प्रबन्धन के अधीन थी । सेना मुख्यालय ने अगस्त 2010 में सूचित किया कि जबाव पहले ही मंत्रालय को भेज दिया गया है और आगे की सूचना, उनसे प्राप्त की जाए । मंत्रालय ने लेखा परीक्षा को इस संबंध में सूचना डी.जी.डी.ई./क्यू.एम.जी. से लेने को कहा ।

3.10 मुआवजे का भुगतान

मंत्रालय ने समय समय पर वर्ष 2001-02 से 2008 के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा की तैयारी से संबंधित पराक्रम गतिविधि के दौरान व्यक्तियों / किसानों को उनकी मामलों आदि की क्षतियों के लिए मुआवजे की अनुग्रह राशि के भुगतान की मंजूरी प्रदान की । चार राज्यों में 302.47 करोड़ रूपये की स्वीकृत राशि के विरूद्ध वर्ष 2002 एवं 2009 के बीच में 291.96 करोड़ रूपये की राशि जिला कलेक्टरों को जमा कराई गई। पूरी जमा की गई राशि में से 7.08 करोड़ रूपये की राशि राज्य सरकारों के पास असंवितरित थी। न तो डी.ई.ओ. ने असंवितरित राशि के लिए दावा किया न ही जिला कलेक्टरों ने राशि को वापस किया। इस प्रकार डी.ई.ओ. की ओर से ढिलाई के कारण 7.08 करोड़ रूपए का रक्षा कोष पिछले सात सालों से राज्य सरकारों के पास बेकार पड़े हुए थे। डी.जी.डी.ई. ने अगस्त 2010 में सूचित किया कि स्वामित्व विवादों, लापता व्यक्तियों के कारण शेष राशि को वितरित नहीं किया जा सका। क्षेत्र अधिकारियों को जल्द से जल्द सही दावेदार को मुआवजे का संवितरण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी दिए गये थे ।

इसके बावजूद, असंवितरित राशि की वापसी के लिए किए गए विवादास्पद मुद्दों को हल करने के लिए राज्य के राजस्व अधिकारियो के साथ संपर्क तथा डी.ई.ओ.की ओर से परिश्रमी प्रयासों की कमी के कारण रक्षा कोष की एक बड़ी राशि पिछले सात वर्षो से अवरूद्ध पड़ी रही ।

जैसा कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 2008 की रिपोर्ट संख्या. सी.ए. 4 के पैरा 2.2 में बताया गया है, ऐसी अंसंवितरित रकम जिला कलेक्टरों द्वारा अनियमित विनियोग के लिए प्रवत्त है ।

संस्तुति 5

रक्षा मंत्रालय को संसदीय स्थाई समिति को दिए गए आश्वासन के अनुरूप तुरन्त भूमि लेखापरीक्षा को नियमित अंतराल पर करने के लिए प्रणाली विकसित करना चाहिए। ऐसी भूमि लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित एजेन्सियों के द्वारा की गई कार्रवाई सार्वजनिक क्षेत्र में रखे जायें।

संस्तुति 6

रक्षा मंत्रालय को अधिग्रहित भूमि की स्थिति की पुनरीक्षा करनी चाहिए एवं जो भूमि आवश्यकता से अधिक एवं/या अप्रयुक्त है, उसके लिये रणनीति बनाई जानी चाहिए।

संस्तुति 7

रक्षा मंत्रालय को रक्षा भूमि के व्यावसायिक उपयोग करने के लिए नियम बनाकर उसे सख्ती से और पूरी गम्भीरता से लागू करना चाहिए। शॉपिंग परिसर के लाभार्थियों के बारे में जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट में सार्वजनिक की जानी चाहिए। किराया और लायसेन्स फीस के रूप में प्राप्त राजस्वों को

सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए। नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

संस्तुति 8

रक्षा मंत्रालय को ऐसी छोड़ी हुई भूमियों के संबंध में नीतिया बनानी चाहिए और ऐसी भूमियों को समयबद्ध तरीके से जनता के बेहतर उपयोग के लिए सख्ती से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस संबंध में प्रगति को मंत्रालय द्वारा मॉनीटर किया जाना चाहिए।

संस्तुति 9

मंत्रालय को भूमि के उपयोग के लिए कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए और एक प्रभावकारी एवं पारदर्शक प्रणाली को सामने लाना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियों/जवाबदेहियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहिए।

संस्तुति 10

मंत्रालय को वर्षों से अब तक रक्षा भूमि के गैरप्राधिकृत उपयोग को अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज कर दिए जाने पर गंभीर रूख लेना चाहिए। इन मामलों की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए जिससे कि प्रशासनिक अकर्मण्यता के कारण सरकारी भूमि का निजी निकायों द्वारा न ही अतिक्रमण किया जाए और न ही इसके दुरूपयोग करने की अनुमति दी जाए। इनके लिए दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित कर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।